३. गणरत्न महोदधि

४. उपनिषदों की अनुक्रमणी (Concordance of the Upanishads) (लेखक : कर्नल जेकब)

५. श्री एस० सी० वसु द्वारा अनुदित अष्टाध्यायी

६. श्री एस० सी० वसु द्वारा अनुदित सिद्धांत कौमुदी

७. दो अथवा तीन खण्डों में शंकराचार्य की सम्पूर्ण रचनाएं--सस्ते संस्करण

८. टीका सहित महाभाष्य--प्रदीप, उद्योत, छाया--सस्ते संस्करण

आप्टे के संस्कृत-अंग्रेजी और अंग्रेजी-संस्कृत शब्दकोषों को (विद्यार्थी संस्करण), सस्ते संस्करणों में प्रकाशित करने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

|[THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K. L. SHHIMALI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) On the recommendation of the Central Sanskrit Board which has been set up for advising the Government of India on matters relating to the pfopagation and development of Sanskrit printing of the following old Sanskrit books has been taken in hand: —

1. Shabda Kalpadruma.
2. Index to the proper names in Mahabharata by Sorenson.
3. Ganaratna-Mahodadhi.
4. Colonel Jacob's Concordance of Upanishads.

■f [ ] English translation.

5.S. C. Vasu's translation of Ashtadhyayi.

6.S. C. Vasu's translation Of Siddhanta Kaumudi.

Complete works of Shankara-charya in two or three volumes— Cheap Edition.

Mahabhashya with commentaries— Pradip, Udyota, Chhaya—Cheap edition.

The question of printing of Apte's Sanskrit-English and English-Sanskrit dictionaries (students edition) in cheap editions has also been taken up.]

तिरुपती (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

३३७. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुपति (आंध्र प्रदेश) स्थित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में संस्कृत की उन्नति के लिये किस प्रकार का काम होगा और वहां अनुसन्धान तथा अध्ययन के लिये क्या क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ; और

(ख) क्या इस संस्था में कोई पुस्तकालय होगा, और यदि हां, तो इस के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

t [CENTRAL SANSKRIT VIDYAPEETHA AT TIRUPATT (ANDHRA PRADESH)

337. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) what nature of work will be done at the Central Sanskrit Vidyapeetha at Tirupati in Andhra Pradesh for the progress of Sanskrit and what arrangements will be made there for research and study; and

(b) whether there will be any library in this Institute, and if so, what amount Of money has been sanctioned for the same?]

शिक्षा मंत्री (डा० कालू लाल श्रीमाली) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) आरम्भ में, केन्द्रीय संस्कृत विद्या-पीठ के मुख्यतः दो तरह के कार्यक्रम होंगे :—

(अ) शिक्षण की आधुनिक पद्धति में संस्कृत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ; और

(आ) संस्कृत ज्ञान की कुछ विशिष्ट शाखाओं में अनुसन्धान आयोजित करना ।

इसके लिये अध्यापकों, अनुसन्धान सहायकों आदि की नियुक्ति एवं उचित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जा रही हैं ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति सोसाइटी के बजट अनुमानों में १९६२–६३ के लिए १०,००० रुपये की राशि सम्मिलित की गई है ।

THE MINISTER OP EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The Kendriya Sanskrit Vidya-peetha will undertake the following programme to begin with—(i) training of Sanskrit teachers in the improved methods of teaching and (ii) conducting research in some of the specialized branches of Sanskrit learning.

For this necessary arrangements are being made to appoint suitable staff and to award scholarships to trainees and scholars.

(b) A sum of Rs. 10,000 has been included for this purpose in the budget estimates of the Kendriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati Society for the year 1962-63.]

लीव ट्रैवल कन्सैशन योजना

३३८. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीव ट्रवल कन्सैशन योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस से किन किन श्रेणियों के कर्मचारी लाभान्वित होते हैं ; और

(ख) क्या इस योजना को अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर भी लागू करने का विचार है ; और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

t [LEAVE TRAVEL CONCESSION SCHEME

338. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of **HOMK** AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the salient features of the Leave Travel Concession Scheme, and the categories of the employees who are benefited by it; and

(b) whether it is proposed to extend it to other categories also; if not, the reason thereof?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी (अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, राज्य सरकारों के वे कर्मचारी जिनकी प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार में हुई है तथा औद्योगिक व कार्य-प्रभार कर्मचारी इनमें शामिल हैं) जो नियमित छुट्टी के अधिकारी हैं इस रिआयत के पात्र हैं । गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या ४३/१/५५–एस्टेबलिशमेंट

t[ ] English translation.